वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2025–26 में पान विकास योजना संबंधित कार्यान्वयन अनुदेश

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या – पी०पी०एम०–33 दिनांक 15.03.2024 के द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2025–26 तक दो वर्षों में कुल 499.375 लाख (चार करोड़ निन्यानवे लाख सैंतीस हजार पाँच सौ) रूपये की लागत पर पान विकास योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

1. योजना का मुख्य उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के पान उत्पादक 07 (सात) जिलों – नालन्दा, नवादा, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, वैशाली एवं सारण के इच्छुक कृषकों को पान की खेती के क्षेत्र विस्तार हेतु आवश्यक सहायतानुदान देकर पान के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना तथा कृषकों के आय में वृद्धि करना है।

2. योजना का संक्षिप्त विवरण

- इस योजनान्तर्गत राज्य के पान उत्पादक 07 (सात) जिलों नालन्दा, नवादा, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, वैशाली एवं सारण में मगही एवं देशी दोनों प्रकार के पान उत्पादन के लिए सहायतानुदान दिया जायेगा।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए FPC के सदस्य एवं व्यक्तिगत कृषक दोनों आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजनान्तर्गत प्रति कृषक को न्यूनतम 100 वर्गमीटर (0.01 हे०) से लेकर अधिकतम 300 वर्गमीटर (0.03 हे०) तक का लाभ दिया जायेगा, जिसके अनुसार प्रति कृषक क्षेत्र के आधार पर न्यूनतम 11,750/– (ग्यारह हजार सात सौ पचास) रूपये एवं अधिकतम 35,250/– (पैंतीस हजार दो सौ पचास) रूपये सहायतानुदान दिया जायेगा।

3. योजना के तहत् लाभुक चयन हेतु कृषक की पात्रता एवं प्रक्रिया

- वित्तीय वर्ष 2024–25 में पान की खेती हेतु इच्छुक कृषकों से फरवरी माह तक ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किया जायेगा।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित किसान को डी.बी.टी. पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है। योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय साईट http://horticulture.bihar.gov.in के डैशबोर्ड पर उपलब्ध "पान विकास योजना" टैब के "आवेदन करें" Link पर जाकर आवेदन किया जाएगा।
- पान क्षेत्र विस्तार का कार्यक्रम के लाभुक FPC के सदस्य एवं व्यक्तिगत कृषक दोनों हो सकते हैं। इस योजनान्तर्गत परिवार के किसी एक ही सदस्य को योजना का लाभ देय होगा।
- जिन कृषकों द्वारा विगत तीन वर्षों के अन्दर इस योजना का लाभ लिया जा चुका है, उक्त कृषक/परिवार का चयन योजना के लिए नहीं किया जायेगा।
- भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र तीन साल पूर्व से अद्यतन एवं राजस्व रसीद एक वर्ष पूर्व का, एकरारनामा चालू वित्तीय वर्ष के लिए होने पर ही लाभ दिया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

- ऑनलाईन पोर्टल में आवेदक द्वारा अपलोड की गई भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र/ राजस्व रसीद/ गैर रैयत किसानों हेतु एकरारनामा प्रपत्र में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।
- प्रखंड उद्यान पदाधिकारी द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन को जाँचोपरांत दस दिवस के अन्दर अपने लॉगिन से अग्रसारित किया जायेगा।
- प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के Login से अग्रसारित आवेदनों के आलोक में निदेशालय स्तर पर निदेशक उद्यान की अध्यक्षता में लाभुकों के चयन हेतु ऑनलाईन लॉटरी की प्रक्रिया की जायेगी।
- ऑनलाईन लॉटरी के उपरांत लाभुकों की सूची सहायक निदेशक उद्यान के Login में स्वतः उपलब्ध हो जायेगी, जिसे सहायक निदेशक उद्यान अपने स्तर से पुनः संलग्न कागजातों एवं दस्तावेजों के जाँचोपरान्त अपने Login से क्रमबद्ध तरीके से कोटिवार कार्यादेश दस दिवस के अन्दर देना सुनिश्चित करेंगे।
- लाभुकों का चयन कोटिवार 78.56 : 20.00 : 1.44 के अनुपात में किया जायेगा। सभी कोटियों में न्यूनतम 30 प्रतिशत महिला कृषकों को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

4. **कार्य का सत्यापन**
   - निर्गत Online कार्यादेश के आलोक में चयनित पान कृषकों द्वारा बरेजा निर्माण एवं पान की खेती का कार्य सम्पादित किया जायेगा।
   - वित्तीय वर्ष 2025–26 में संबंधित प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी/सहायक निदेशक उद्यान द्वारा प्राधिकृत कर्मी के द्वारा दिये गये कार्यादेश के आलोक में लाभुक द्वारा पान बरेजा का निर्माण एवं पान की खेती के उपरांत 30 जून तक भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
   - कार्य के सत्यापन के क्रम में जियो टैग फोटोग्राफ संबंधित सत्यापनकर्ता कर्मी एवं लाभुक के साथ कराना अनिवार्य होगा।
   - कार्य के सत्यापन उपरान्त ऑनलाईन प्रतिवेदन तथा फोटोग्राफ तीन दिनों के अन्दर Online Upload/Entry किया जायेगा।

5. **अनुदान विमुक्ति की प्रक्रिया**
   - संबंधित प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी/सहायक निदेशक उद्यान द्वारा प्राधिकृत कर्मी के द्वारा ऑनलाईन सत्यापन प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में सहायक निदेशक उद्यान द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में अगस्त माह तक नियमानुसार सहायतानुदान की विमुक्ति सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से डी.बी.टी. की प्रक्रिया के तहत सुनिश्चित की जायेगी।

6. **पदेन कर्त्तव्य एवं दायित्व**

i. **किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/ATM/BTM/प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी**
   - स्वीकृत योजना के संबंध में कृषकों के बीच प्रचार–प्रसार करना।
   - अपने–अपने कार्यक्षेत्रों में इच्छुक कृषकों को स्वीकृत योजना के लक्ष्य के आलोक में प्रखंडवार विखण्डित लक्ष्य के तहत Online आवेदन करवाना।
   - प्रत्येक दिन प्राप्त Online आवेदन के साथ Upload किया गया कागजात/वर्णित भूमि का सत्यापन कर, अनुशंसा के साथ कार्यादेश निर्गत करने हेतु सहायक

Scanned with OKEN Scanner

निदेशक उद्यान के Login में निर्धारित समय सीमा (आवेदन की तिथि से 10 कार्यदिवस) के अन्दर भेजना।

ii. **सहायक निदेशक उद्यान**

- योजनाओं के प्रचार–प्रसार करना।
- प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी/ए.टी.एम./बी.टी.एम. को संबंधित प्रखण्ड/पंचायत हेतु स–समय लक्ष्य उपलब्ध करना तथा उस लक्ष्य के विरूद्ध लक्ष्य प्राप्ति का साप्ताहिक समीक्षा करना।
- लक्ष्य का विखण्डन प्रखंड के पोटेंशियल के हिसाब से सुनिश्चित करना।
- निदेशालय स्तर से लॉटरी के उपरांत प्राप्त सूची के आधार पर अपने Login से कार्यादेश निर्गत करना।
- कार्य निष्पादन उपरांत बिना किसी विलम्ब के भौतिक सत्यापन हेतु प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी/ए.टी.एम./बी.टी.एम. को निदेशित करना।
- योजना के प्रगति का मासिक प्रगति प्रतिवेदन से प्रमंडलीय उप निदेशक उद्यान/मिशन निदेशक को उपलब्ध कराना। साथ ही साथ प्रगति को संसूचित सॉफ्टवेयर में अपलोड करना।
- दिए गए निर्देश के आलोक में अनुमान्य अनुदान ससमय भुगतान सुनिश्चित करना।

iii. **प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान**

- प्रमण्डल स्तर पर योजना के प्रगति का समीक्षा करना।
- उप समिति की बैठक करना तथा सहायक निदेशक उद्यान के एजेंडों पर निर्णय एवं निदेश देना।
- योजना का कार्यान्वयन में सहायक निदेशक उद्यान को आवश्यक दिशा–निर्देश देना ताकि योजना की प्रगति समय से हो सके।

iv. **योजना के नोडल पदाधिकारी**

- लाभुक चयन हेतु प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के Login से अग्रसारित आवेदनों को निदेशक उद्यान की अध्यक्षता में Lottery कराना।
- योजना का समय–समय पर उचित माध्यम से समीक्षा करना।
- योजना के कार्यान्वयन के क्रम में जिलों से प्राप्त पत्रों का त्वरित निष्पादन कराकर निदेश उपलब्ध कराना।
- योजना के मासिक प्रगति के समेकित प्रतिवेदन तैयार कराकर मिशन निदेशक राज्य बागवानी मिशन को उपलब्ध कराना।

v. **जिला पदाधिकारी –सह– अध्यक्ष, जिला बागवानी विकास समिति**

- जिला पदाधिकारी अपने जिला में इस कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालन करवायेंगे एवं योजना का पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करना।

vi. **निदेशक उद्यान**

- राज्य स्तर पर योजना का समीक्षा, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करना।
- लाभुक चयन हेतु ऑनलाईन लॉटरी की प्रक्रिया अपनी अध्यक्षता में पूरी करना।
- योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु समय–समय पर आवश्यक निदेश एवं मार्गदर्शन देना।

Scanned with OKEN Scanner

7. **कार्यक्रम का निरीक्षण**

- प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी, प्रखण्ड में कार्यान्वित योजनाओं का स–समय शत–प्रतिशत निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन जियो टैग फोटोग्राफ के साथ अपलोड करेगें।
- जिला स्तर पर सहायक निदेशक उद्यान, जिला में संचालित योजनाओं का 10 प्रतिशत निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन मन्तव्य के साथ तीन दिनों के अन्दर अपलोड करेगें।
- प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान के द्वारा प्रमण्डल में कार्यान्वित योजनाओं का 2 प्रतिशत निरीक्षण करेंगे एवं निरीक्षण प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर मिशन निदेशक को समर्पित करेंगे।
- मुख्यालय स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारी 1 प्रतिशत योजनाओं का निरीक्षण करेंगे एवं निरीक्षण प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर मिशन निदेशक को समर्पित करेंगे।

8. **कार्यक्रम का अनुश्रवण**

- जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी/सहायक निदेशक उद्यान, प्रमण्डल स्तर पर उप निदेशक उद्यान एवं राज्य स्तर पर संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/मिशन निदेशक, बिहार बागवानी विकास सोसाईटी द्वारा कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जायेगा।

9. **योजना का प्रगति प्रतिवेदन**

- सहायक निदेशक उद्यान द्वारा इस कार्यक्रम के प्रगति प्रतिवेदन (भौतिक एवं वित्तीय) राज्य बागवानी मिशन द्वारा उपलब्ध कराये गये Online Software में निश्चित रूप से अपलोड किया जायेगा। समीक्षा के क्रम में जिलावार Online Software Upload प्रतिवेदन ही मान्य होगा।

निदेशक उद्यान,
बिहार, पटना।

Scanned with OKEN Scanner